



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062024-254723
CG-DL-E-15062024-254723

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946

No. 306]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2024

सा.का.नि. 329(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2024 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में, पैरा 32क में उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) जहां कोई नियोक्ता निधि में किसी अंशदान के संदाय में या अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) या धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन उनके द्वारा अंतरित किए जाने वाले अपेक्षित संचयों के अंतरण में या अधिनियम या योजना के किसी अन्य उपबंध के अधीन या अधिनियम की धारा 17 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त के अधीन देय किन्हीं प्रभारों के संदाय में चूक करता है, वहां केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसा अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए, नियोक्ता से प्रतिमाह अंशदान के बकाया के एक प्रतिशत या उसके भाग की दर से नुकसानी वसूल कर सकेगा।”

[फा. सं. आर-15011/01/2022-एसएस-II]

आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), संख्यांक का.नि.आ. 1506, तारीख 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 225(अ), तारीख 27 मार्च, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2024

G.S.R. 329(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

1. Short title and Commencement.— (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 32A, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(1) Where an employer makes default in the payment of any contribution to the fund, or in the transfer of accumulations required to be transferred by him under sub-section (2) of section 15 or sub-section (5) of section 17 of the Act or in the payment of any charges payable under any other provisions of the Act or Scheme or under any of the conditions specified under section 17 of the Act, the Central Provident Fund Commissioner or such officer as may be authorised by the Central Government by notification in the Official Gazette in this behalf, may recover damages from the employer at the rate of one per cent. of the arrear of contribution per month or part thereof.”

[F. No. R-15011/01/2022-SS-II]

ALOK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number SRO. 1506 dated the 2nd September, 1952 and was last amended vide notification number G.S.R. 225(E), dated the 27th March, 2020.